भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

जनवरी 2026
वर्ष 40 संख्या 1
मूल्य 5 रुपये

भारत में पहली कम्युनिस्ट कान्फ्रेंस की शताब्दी का कोलकाता में आयोजन

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी ने भारत में पहली कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस की शताब्दी ऐसे समय में मनाई, जब केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन कर रहा शासक वर्ग का सबसे प्रतिक्रियावादी फासीवादी तबका कम्युनिस्टों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर चुका है और शुरुआत कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को निशाना बनाकर कर रहा है। यह शताब्दी ऐसे समय में मनाई जा रही है जब कम्युनिस्ट आंदोलन की प्रासंगिकता पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके लिए शोक संदेश लिखे जा रहे हैं और मार्क्सवाद को शासक वर्गों की जरूरतों के अनुसार ढालने के सुझाव दिए जा रहे हैं। यह शताब्दी ऐसे समय में मनाई जा रही है जब संसदीय बौनेपन ने कम्युनिस्ट आंदोलन की जीवंतता को कमजोर किया है और कर रहा है। लेकिन व्यवस्था का गहराता संकट, जनता की बढ़ती मुश्किलें और तीव्र होते वर्गीय अंतर्विरोध जनता के संघर्षों के एजेंडे पर क्रांतिकारी परिवर्तन को लगातार ला खड़ा कर रहे हैं। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ही एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है।

इसी आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए, कम्युनिस्ट आंदोलन की गौरवशाली विरासत की एक उत्तराधिकारी, सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी ने 24 दिसंबर 2025 को कोलकाता में एक महासभा के माध्यम से इस शताब्दी का आयोजन किया।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी ने 26 से 28 दिसंबर 1925 को कानपुर में आयोजित भारत की पहली कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 24 दिसंबर 2025 को कोलकाता के लेनिन सारणी स्थित सुभाष मलिक स्क्वायर में 2000 से अधिक मुख्यतः कम्युनिस्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक सभा आयोजित की। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों तथा बिहार, तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से साथी इस सभा में शामिल हुए। अन्य कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों के साथी भी इस बैठक में उपस्थित थे। इस सभा में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया।

सुबह 11:30 बजे से यह सभा क्रांतिकारी गीतों और नेताओं के भाषणों से गूंज उठी। कम्युनिस्ट इतिहास के महत्वपूर्ण आंदोलनों के चित्रण तथा शहीदों और दिवंगत नेताओं की तस्वीरों की एक पोस्टर प्रदर्शनी भी इस अवसर पर लगाई गई। यह कार्यक्रम सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी और पीसीसी सीपीआई (एमएल) के विलय के बाद कोलकाता में किया गया पहला कार्यक्रम था।

मंच और पार्क को लाल रंग से सजाया गया था, पार्टी के झंडे लहरा रहे थे और मंच पर बने एक प्लेटफॉर्म पर सीपीआई (एमएल) के नेताओं – कामरेड चारू मजूमदार, सत्य नारायण सिंह और सीपी रेड्डी की विशाल तस्वीरें लगाई गई थीं। तीन बड़े बोर्डों पर क्रांतिकारी आंदोलन के शहीदों और दिवंगत नेताओं की तस्वीरें प्रदर्शित की गई थीं और ऐसे नामों की एक सूची भी प्रदर्शित की गई थी। एक लंबे बैनर पर पिछले 100 वर्षों में भारत में कम्युनिस्टों द्वारा नेतृत्व किए गए या जिनमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे ऐतिहासिक जन संघर्षों की पुरानी तस्वीरें और संक्षिप्त विवरण लगाए गए थे, जैसे 1930 का सोलापुर कम्यून, आईएनए नाविकों का विद्रोह, वर्ली आदिवासी विद्रोह, तेलंगाना किसान सशस्त्र संघर्ष, तेभागा आंदोलन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ मजदूरों की हड़ताल, पेप्सू मुजहरा आंदोलन, पुनाप्प्रा–वायलार आंदोलन, बंगाल का खाद्य आंदोलन, नक्सलबाड़ी, श्रीकाकुलम, मुशहरी, देबरा गोपीबल्लवपुर व लखीमपुर खीरी के सशस्त्र किसान संघर्ष तथा गोदावरी घाटी प्रतिरोध संघर्ष, आदि। सभा स्थल पर क्रांतिकारी और प्रगतिशील साहित्य का एक पुस्तक काउंटर तथा श्रमजीवी स्वास्थ्य उद्योग द्वारा संचालित एक चिकित्सा शिविर भी लगाया गया था।

नक्सलबाड़ी, तेलंगाना और तेभागा को सम्मानित करने वाले नारों की गूंज के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल राज्य समिति के सचिव कामरेड सुशांत झा ने शहीदों और दिवंगत नेताओं की तस्वीरों से घिरे स्थान पर लाल झंडा फहराया। कार्यक्रम की शुरुआत कामरेड सुमित सिन्हा द्वारा प्रेसीडियम के सदस्यों – कामरेड सुशांत झा, केंद्रीय समिति सदस्य कामरेड सेलेन भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल राज्य समिति के नेता कामरेड चंदन परमानिक और केंद्रीय समिति सदस्य कामरेड जे.वी. चलपति राव को मंच पर आमंत्रित करने से हुई। इसके बाद पार्टी वक्ताओं को मंच पर बुलाया गया। पार्टी की केंद्रीय समिति से कामरेड वी.के. पटोले, आंध्र प्रदेश के पार्टी प्रवक्ता कामरेड पी. प्रसाद, ओडिशा के पार्टी प्रवक्ता कामरेड भाल चंद्र षडंगी, असम राज्य समिति के नेता कामरेड जोगेश भट्टा, तेलंगाना के पार्टी प्रवक्ता कामरेड एस.वी. राव, पंजाब समिति के प्रवक्ता कामरेड कुलविंदर सिंह वरैच और दिल्ली समिति के प्रवक्ता कामरेड मृगांक। कार्यवाही का संचालन कामरेड चंदन परमानिक और कामरेड सुमित सिन्हा ने किया।

वक्ताओं के मंच पर आने के बाद शहीदों की स्मृति में एक मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल पीडीएसयू की सांस्कृतिक टोली स्फुलिंग ने शहीदों को समर्पित एक जोशीला गीत प्रस्तुत किया। इसके पश्चात पार्टी की केंद्रीय समिति की ओर से कामरेड वी.के. पटोले ने सभा को संबोधित किया।

पार्टी के इतिहास का उल्लेख करते हुए कामरेड पटोले ने कहा कि कम्युनिस्ट आंदोलन के दौरान नक्सलबाड़ी के बाद पार्टी का दूसरी बार पुनर्गठन हुआ। उन्होंने जनता की स्थिति और क्रांतिकारी आंदोलन के सामने मौजूद चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिस्टों द्वारा स्थापित समाजवाद विफल हो गया है। लेकिन क्या कोई और समाज ऐसा है जो जन्म से

(आगे पृष्ठ 3 पर)

पंजाब में भूमि संघर्षों के नेता का. मुकेश मलौद दिल्ली में रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार

पंजाब में पिछले 12 वर्षों में, पंताब में दलितों के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन के नेता का. मुकेश मलौद को, पिछली व मौजूदा सरकार द्वारा दर्ज, गढ़े हुए मामलों में गिरफ्तार करके भगवंत मान सरकार ने अपनी असली दलित विरोधी, मज़दूर विरोधी सोच और दोहरे मापदंडों को उजागर कर दिया है।

इन आंदोलनों का नेतृत्व करने वाली ज़मीन प्राप्ति संघर्ष समिति (जेडपीएससी) के युवा और निडर नेता मुकेश मलौद को 30 दिसम्बर को पंजाब पुलिस की सीआईडी ब्रांच और संगरूर पुलिस ने हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से उस समय उठाया, जब वे नागपुर में अंबेडकर मिशन की बैठक को संबोधित करने के बाद वापस लौट रहे थे। फिर दिल्ली में कोर्ट से रिमान्ड पर लिए बिना ही, वे उन्हें 'अपहरण' करके ले गए।

अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जेडपीएससी का आंदोलन समाज के सबसे उत्पीड़ित

(शेष पृष्ठ 7 पर)

हनुमानगढ़: खेती की जमीन पर कारपोरेट कब्जा रोकने के लिए किसानों का सफल संघर्ष

17 दिसम्बर को राजस्थान के हनुमानगढ़ में जिला अनाज मण्डी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने 10–12,000 की संख्या में एकत्र होकर घग्घर नदी इलाके की खेती की हरी–भरी जमीन पर जल व अन्य प्रदूषण फैलाने वाले एथेनॉल प्लान्ट का विरोध किया और सरकार को इसके लगने पर और किसानों पर दर्ज केसों पर पुनः विचार करने पर मजबूर किया। यह एसकेएम के नेतृत्व में किसानों की एक बड़ी जीत है।

मोर्चे के नेताओं ने किसानों पर 10 दिसम्बर को की गयी हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देश में डबल इंजन सरकारें, यानी आर.एस.एस.–भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार किसानों पर हमले कर रही हैं और उपजाऊ कृषि भूमि पर कब्जा करा रही हैं। कॉरपोरेट भारत को गहरे खाद्य संकट में धकेलना चाहती हैं और अमेरिका के साथ विचाराधीन "मुक्त व्यापार समझौते" के तहत बिना शुल्क मक्का व गेहुं का आयात करना चाहती हैं। अनाज से एथेनॉल बनाने वाले संयंत्रों के खिलाफ किसानों के संघर्ष को पूर्ण समर्थन देते हुए औद्योगिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण की अनुमति नहीं देने की अपनी मांग को एसकेएम ने दोहराया। साथ में भजनलाल शर्मा सरकार से मांग की कि गिरफ्तार किसानों को तुरंत रिहा करे तथा सभी घायलों को मुआवजा दे।

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में 10 दिसंबर, 2025 को राठीखेड़ा और अन्य गांवों के किसानों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई जिसमें 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। किसान आरएसएस–भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा 2 से 4 फसली उपजाऊ भूमि पर एथेनॉल संयंत्र की स्थापना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उस दिन 10,000 से अधिक किसान महापंचायत के लिए एकत्रित हुए थे, क्योंकि अप्रैल 2024 से संयंत्र के खिलाफ उनका 17 महीने लंबा धरना, राज्य सरकार को समझाने में विफल रहा था।

यह भूमि 2020 में कुल 7 मालिकों से खरीदी गई थी। स्थानीय रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग स्थापित करने का प्रचार किया गया था। अनाज से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में अनाज को पीसने और किण्वन (फरमेन्टेशन) के लिए भारी मात्रा में भूजल की आवश्यकता होती है। एक लीटर एथेनॉल के लिए लगभग 10 से 17 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। संयंत्र की क्षमता 13,20,000 लीटर प्रतिदिन है, जिसका अर्थ है कि कारखाने को इसमें से 10 से 17 गुना अधिक पानी चाहिये, जो भूतल से खिंचेगा और इलाके को सुखा देगा।

एथेनॉल बनाने में बचे अपशिष्ट हानिकारक रसायनों से भरे होते हैं। इसके अलावा यहां ईंधन के लिए 40 मेगावाट की एक बिजली उत्पादन परियोजना लगाई जा रही थी, जिसमें पराली जलाई जानी थी। इससे जहरीली गैसें निकलेंगी और प्रतिदिन 220 क्विंटल से अधिक राख उत्पन्न होगी। एक ओर देश भर में किसानों पर साल में एक बार अपने खेतों में पराली जलाकर वायु प्रदूषण फैलाने के नाम पर मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय खुद सक्रिय है। लेकिन सरकार इस संयंत्र को 'रोजाना' भारी मात्रा में पराली जलाने की अनुमति दे रही है। अब पराली को कम्प्रेस करके उससे बनी गिट्टी पूरे इलाके से भेजने की तैयारी है, जिसके लिए हरियाणा और राजस्थान, दोनों में कई मशीनें लगाई जा चुकी हैं।

यह परियोजना पेट्रोल और डीजल के एथेनॉल मिश्रण का हिस्सा है। चंडीगढ़ स्थित कंपनी ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 40 एकड़ जमीन खरीदी थी। 16 जून, 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (**MoEFCC**) ने इसे 1320 किलोलीटर प्रति दिन (**KLPD**) की क्षमता वाला अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र और 40 मेगावाट का सह–उत्पादन विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी थी।

टिब्बी का यह क्षेत्र समृद्ध घग्घर बेसिन राजस्थान के कुछ गिने–चुने हरे–भरे क्षेत्रों में से एक है और लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। जब जमीन खरीदी गयी थी, तब केवल उद्योग लगाने का प्रचार था। पर पिछले साल कॉरपोरेट समर्थक सरकार ने रोजगार की उनकी उम्मीदों को बुरी तरह झकझोर दिया और उन्हें एहसास हुआ कि यह उद्योग एथेनॉल प्लान्ट है जो उनका मौजूदा आजीविका साधन, उनकी जमीन ही बर्बाद कर देगा।

एथेनॉल संयंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अप्रैल 2024 में शुरू हुआ। सरकार ने कंपनी से अधिक मुआवजे का आश्वासन देने की कोशिश की। किसान अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ थे। अंतिम चर्चा 25 नवंबर को होनी थी, लेकिन 19 नवंबर को बैठक से पहले भारी पुलिस बल ने प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

एसकेएम महापंचायत को एआईकेएमएस से आशीष मित्तल, एआईकेएमएस उत्तर प्रदेश अध्यक्ष धरमपाल सिंह, बीकेयू से राकेश टिकैत, बीकेयू उग्राहां के जोगिन्दर सिंह उग्राहां, एआईकेएस के कृष्णा प्रसाद तथा संघर्ष के इलाके से दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया।

अनाजों से एथेनाल : भोजन कारपोरेट के हवाले; ग्रामीण जलवायु जहरीले प्रदूषण के हवाले

आशीष

हाल के वर्षों में भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को तेजी से बढ़ावा दिया है और इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कच्चे तेल के आयात में कटौती तथा ईंधन के जलने से प्रदूषण कम कर इसे जलवायु समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। इस नीति के तहत शीरा आधारित एथेनॉल से हटकर चावल, मक्का, गेहूं, टूटे चावल, मोटे अनाज के किण्वन (फरमेंटेशन) से एथेनॉल उत्पादन की ओर तेजी से रुख किया गया है और कई ग्रामीण स्थानों पर इसके उद्योग लगाए जा रहे हैं।

तकनीकी पहलु

एथेनॉल या अल्कोहाल बनाने का सबसे महंगा सौदा अनाज से है। शीरे या गन्ने का रस ज्यादा सस्ता और सरल स्रोत है। इसमें अनाज पीसकर उसे पकाया जाता है, फिर किण्वन (फरमेंटेशन) व आसवन (डिस्टिलेशन) किया जाता है। गरीबों का भोजन कारपोरेट के ईंधन में बदला जाता है। हालांकि कारपोरट हित की इस नीति का प्रचार "हरित" और "किसान हितैषी" के रूप में किया जा रहा है परंतु यह खेतों व प्रकृति में भयंकर जलवायु प्रदूषण भी फैलाता है। जमीनी हकीकत बताती है कि इससे गंभीर सामाजिक, पर्यावरणीय और खाद्य सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा होते हैं जिसका सबसे अधिक बोझ ग्रामीण गरीब और कृषि समुदायों पर पड़ता है।

दूसरा तकनीकी पहलु है 20 प्रतिशत मिश्रण से पुराने वाहनों की मशीनरी में होने वाली क्षति का और वाहनों की प्रति लीटर चाल घटने का।

एथेनॉल उत्पादन कच्चा तेल आयात से बहुत ज्यादा महंगा है

इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारत में कच्चा तेल का आयात 64 डॉलर प्रति बैरल है जो बढ़े हुए डॉलर मूल्य के बावजूद करीब 36 रुपये प्रति लीटर पड़ता है। इसके शुद्धि करने की कीमत जोड़कर भी यह कम्पनियों को करीब 2 से 6 रुपये पड़ती है। पर एक लीटर एथेनॉल बनाने में 3 किलो मक्का का इस्तेमाल होता है, यानि अगर जमीन, संयत्र, शोधन, खेती व पर्यावरण क्षति की कीमत छोड़ भी दिया जाए, तो इसमें केवल मक्का की कीमत ही 66 से 72 रुपये पड़ेगी। यह पेट्रोल व डीजल में मिश्रण का सस्ता विकल्प कैसे है, यह समझ से परे है।

खाद्य अनाजों का संकट, खाद्य असुरक्षा, एकल फसल व्यवस्था

खाद्य अनाजों से एथेनॉल उत्पादन सीधे तौर पर खाने योग्य फसलों के प्रयोग को सार्वजनिक खाद्य व्यवस्था (पीडीएस), मध्याह्न भोजन और पोषण योजनाओं से बाहर मोड़ देता है। अब इन फसलों को तेजी से डिस्टिलरी उद्योगों को दिया जाना होगा। यह निश्चित ही खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि करेगा।

यह दावा कि एथेनॉल संयंत्र केवल "अधिशेष" या "खराब" अनाज का उपयोग करते हैं, पूर्णतः भ्रामक है। कहां है व्यवस्था जो देश भर से खराब अनाज बटोर सके और क्या उतने से ही एथेनॉल संयंत्र चल सकेगा? व्यवहार में, एथेनॉल के लिए अनाज की खरीद खाद्य बाजारों से प्रतिस्पर्धा करेगी और स्थानीय उपभोग की अवहेलना कर, औद्योगिक उपयोग के लिए विशिष्ट फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी। अनाज आधारित एथेनॉल उद्योग लगने से इलाके में मक्का और चावल की एकल फसल (मोनोकल्चर) को बढ़ावा मिलेगा ताकि औद्योगिक मांग की पूर्ति हो और स्थानीय खाद्य जरूरतों के लिए पैदावार घट जायेगी। इसको दिये जा रहे राज्य द्वारा समर्थन से 'विकास' के नाम पर रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और भूजल सिंचाई पर निर्भरता भी बढ़ेगी, उत्पादन लागत बढ़ेगी और पारिस्थितिक विनाश बढ़ेगा तथा छोटे और सीमांत किसानों की फसल पैदा करने की स्वतंत्रता घटेगी। ऐसे उद्योग पारंपरिक मिश्रित खेती प्रणाली व फसल विविधता को कमजोर करते हैं और इससे और जलवायु परिवर्तन होता है और कृषि और भी नाजुक हो जाती है।

आयात तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

इन संयत्रों को बढ़ावा देने का यह पहलु कि इससे ईंधन के इस्तेमाल में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, भी भ्रामक है। तेल आयात जरूर घटेगा पर अंतराष्ट्रीय अनाज व्यापारिक कम्पनियां अपना अत्यधिक अतिरिक्त फसल का भारत में निर्यात करने के लिए अपनी सरकारों के माध्यम से भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते में भी यह एक मसला है। वह अपनी मक्का व गेहूं के लिए बाजार ढूंढ रहा है।

जल संकट और पारिस्थितिक दबाव

अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र अत्यधिक जल–खपत वाले होते हैं। सफाई करने, अनाज पीसने, पकाने, किण्वन और आसवन के लिए ठण्डा करने और बॉयलर चलाने के लिए भारी मात्रा में ताजे पानी की आवश्यकता होती है। इससे भूजल का तेजी से दोहन होता है, कुएं और हैंडपंप सूखते हैं और पीने तथा सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता घटती है।

अनाज आधारित डिस्टिलरी से निकलने वाले अपशिष्ट, यदि ठीक से उपचारित न किए जाएं, तो नदियों, तालाबों और भूजल को प्रदूषित करते हैं। शुद्ध एथेनॉल के पृथक्करण में, इसका अधिकांश भाग हानिकारक मध्यवर्ती पदार्थों – माइक्रोटॉक्सिन के साथ भारी धातु, कीटनाशक, अपशिष्ट के रूप में बच जाता है। ये मध्यवर्ती पदार्थ विभिन्न खाद्य पदार्थों को दूषित करते हैं और कृषि भूमि की मिट्टी की लवणता और विषाक्तता बढ़ाकर नुकसान पहुंचाते हैं।

इथेनॉल संयंत्र हमेशा अपशिष्ट को भूमिगत कुओं या नदियों में डाल देते हैं क्योंकि इसके निपटान का कोई अन्य सस्ता तरीका उपलब्ध नहीं है। जहां–जहां इसका विषैला पानी जाता है वहां एक ओर उसका रंग काला पड़ जाता है और दूसरी ओर उसमें मौजूद कीटाणुओं तथा रसायनों में सामान्य पानी से आक्सीजन खींचने की बहुत तेज़ क्षमता होती है। इससे मछली व अन्य जंतुओं का जीवन नष्ट हो जाता है। पंजाब के जीरा में भी ऐसा ही हुआ, जहाँ हाल ही में किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण संयंत्र को

(शेष पृष्ठ 7 पर)

भारत में पहली कम्युनिस्ट कान्फ्रेंस की शताब्दी का कोलकाता में आयोजन

(पृष्ठ 1 से आगे)
लेकर मृत्यु तक सुरक्षा, पूर्ण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देने के करीब भी पहुंचा हो। उन्होंने पार्टी सदस्यों और क्रांतिकारी संगठनों के साथियों से शहीदों से प्रेरणा लेने और नवजनवादी क्रांति को पूरा करने का आह्वान किया।

अगले वक्ता कामरेड सुशांत झा ने सभा का अभिवादन किया और कहा कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का जन्म अक्टूबर क्रांति के प्रभाव में हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन, जो कम्युनिज्म का नाम लेते हैं, संसदीय बौनेपन के शिकार हो चुके हैं। मोदी सरकार ऑपरेशन कगार चला रही है, सरकार ने सैकड़ों माओवादी नेताओं और कैडरों की हत्या की है और यह घोषणा की है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उनका निशाना सिर्फ माओवादी नहीं हैं बल्कि पूरा क्रांतिकारी खेमा है और आगे चलकर सामाजिक जनवादी तथा शासक वर्गों के विपक्षी हिस्से भी हैं। यह देश पर फासीवादी तानाशाही थोपने की मुहिम का हिस्सा है।

इसके बाद आयोजकों ने देबरा गोपीबल्लभपुर आंदोलन की वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रसिद्ध बंगाली कवियित्री तथा महिला पत्रिका समता की संपादक कामरेड पियासा दास गुप्ता को मंच पर आने में सहायता की। उन्होंने अपनी लिखी एक कविता का पाठ किया।

इस अवसर पर बिप्लवी गणलाइन द्वारा प्रकाशित दो प्रकाशनों का विमोचन किया गया। एक पत्रिका का विशेषांक, जो पहली कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस के 100 वर्षों पर आधारित था, तथा दूसरी भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रारंभिक चरण के इतिहास पर एक पुस्तिका।

सभा को संबोधित करते हुए कामरेड भालचंद्र षडंगी ने कहा कि कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ही वे लोग हैं जिन्होंने आदिवासियों और उनके अधिकारों के संघर्षों के साथ खड़े रहकर सरकारों द्वारा कॉरपोरेट लुटेरों – मुख्यतः विदेशी, लेकिन देसी भी, की सेवा में भारत की खनिज संपदा की लूट के लिए किए जा रहे जबरन विस्थापन का विरोध किया है। जबरन बेदखली के खिलाफ कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों द्वारा किए गए संघर्ष ही वन अधिकार कानून के बनने के लिए महत्वपूर्ण थे। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी शासक वर्गों के उस विकास मॉडल के खिलाफ आदिवासियों के संघर्षों का समर्थन कर रहे हैं जो कॉरपोरेट द्वारा वन संपदा के शोषण पर आधारित है। ऑपरेशन कगार जैसे हमलों का यह एक महत्वपूर्ण कारण है।

कामरेड सेलेन भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले सौ वर्षों में कम्युनिस्टों ने मजदूरों और किसानों के संघर्षों का नेतृत्व किया है और बड़े बलिदान दिए हैं। लेकिन अखिल भारतीय आंदोलन का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को, जो दशकों से अलग–अलग संगठनों में बंटे हुए हैं, एक पार्टी में एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने पीसीसी, सीपीआई (एमएल) और सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी के बीच हालिया एकता का उदाहरण देते हुए कहा कि यह कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों की एकता की प्रक्रिया को तेज करेगा।

कामरेड पी. प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन और भारतीय कम्युनिस्टों के बीच संबंधों का इतिहास प्रस्तुत किया। 1920 से ही कोमिन्टर्न ने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन और सीपीआई के गठन का समर्थन किया। पेशावर, कानपुर और मेरठ षडयंत्र मामलों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन ने भारत के कम्युनिस्टों का साथ दिया। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन ने देश में कम्युनिस्ट आंदोलन के दौरान विभिन्न अवसरों पर दक्षिणपंथी और अति–वाम भटकावों को सुधारने में भी मदद की। लेनिन ने रूसी क्रांति से पहले से ही भारत के मजदूर आंदोलन में गहरी रुचि ली थी और 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के खिलाफ तत्कालीन बंबई में मजदूरों की हड़ताल का समर्थन किया था। लेनिन और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के नेतृत्व, जिनमें स्तालिन और माओ भी शामिल थे, ने भारतीय कम्युनिस्टों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तथापि क्रांति करना अभी अधूरा कार्य है और हमें जुझारू जनांदोलनों का निर्माण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए।

असम राज्य समिति के नेता कामरेड जोगेश भट्टा ने असम में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में हुए संघर्षों की दो लहरों पर चर्चा की। अक्टूबर क्रांति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ और असम में भूमि तथा अन्य सामाजिक–आर्थिक मुद्दों पर संघर्ष हुए। महान नक्सलबाड़ी विद्रोह के बाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने जन आंदोलन के निर्माण में साहस, बलिदान और दृढ़ता का परिचय दिया, जो पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने अति–राष्ट्रवादी आंदोलनों के विरोध में दिए गए बलिदानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जन प्रतिरोध खड़ा करने के लिए पार्टी दो मोर्चों– बेदखली विरोधी मोर्चा और मजदूर मोर्चा, पर संघर्ष खड़े कर रही है। मध्य भारत में आदिवासी प्रतिरोध के खिलाफ तीव्र दमन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि असम में भी राज्य और कॉरपोरेट पूंजी की इसी तरह की आक्रामक कार्रवाई का नया चरण देखा जा रहा है।

कामरेड एस.वी. राव ने गोदावरी घाटी प्रतिरोध संघर्ष को श्रोताओं के सामने जीवंत कर दिया और मौजूदा सरकारों द्वारा कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों पर जारी दमन के खिलाफ भी बात की। उन्होंने कहा कि गोदावरी घाटी संघर्ष के परिणामस्वरूप लगभग 11 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा हुआ और 5 लाख एकड़ भूमि के पट्टे आदिवासियों को दिए गए। उन्होंने इस बात की निंदा की कि 90 प्रतिशत विकलांग जी. एन. साईबाबा को दस वर्षों तक अंडा सेल में रखा गया और उन्हें तब रिहा किया गया जब उनका स्वास्थ्य पूरी तरह नष्ट हो चुका था। राज्य 'बहुतों के लिए जेल और कुछ के लिए जमानत' की नीति लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के घोषित उद्देश्य से शुरू किया गया ऑपरेशन कगार सफल नहीं होगा।

कामरेड कुलविंदर सिंह ने पंजाब में कम्युनिस्ट आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि पंजाब में दो धाराएं थीं। एक धारा मुख्य रूप से लाहौर केंद्र में ट्रेड यूनियन कार्य में लगी थी और उनके प्रतिनिधि कानपुर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। दूसरी धारा गदर पार्टी की थी, जिसमें मुख्यतः उत्तर अमेरिका में काम कर रहे भारतीय शामिल थे, जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत आए। उन्होंने विद्रोह संगठित करने की कोशिश की, लेकिन प्रयास असफल रहा। इसके बाद अधिकांश गदर पार्टी के कार्यकर्ता सोवियत संघ चले गए और लौटकर उन्होंने कीर्ति पार्टी का गठन किया। उन्होंने किसानों के बीच काम किया और किसान संघर्षों का नेतृत्व किया। चालीस के दशक में कीर्ति पार्टी आधिकारिक पार्टी में विलय हो गई। लेकिन जल्द ही उसके अधिकांश साथी बाहर निकल आए, लाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और भूमि के लिए ऐतिहासिक पेप्सू काश्तकार आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में यह भी आधिकारिक पार्टी में शामिल हो गई। इसके बाद इसके कुछ नेता सीपीआई (एमएल) में शामिल हुए।

कामरेड मृगांक ने बताया कि कैसे उभरती कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का मार्गदर्शन किया। उनके नेतृत्व में हुए संघर्षों ने औपनिवेशिक शासकों को और 1947 के बाद भी कई श्रम कानून बनाने के लिए मजबूर किया। कम्युनिस्टों ने मजदूर वर्ग को 'स्वयं में वर्ग' से 'स्वयं के लिए वर्ग' की चेतना विकसित करने में मदद की। प्रारंभिक दौर में उपनिवेश विरोधी आंदोलन की क्रांतिकारी आकांक्षाएं प्रभुत्वशाली कांग्रेस नेतृत्व वाले आंदोलन से टकराईं। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आज भी भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के निर्माण और मार्गदर्शन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

भाषणों के बीच–बीच और विशेष रूप से अंत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अरुणोदय टोली, उत्तर प्रदेश के परिवर्तन सांस्कृतिक मंच, पंजाब के दो पीएसयू छात्रों, पश्चिम बंगाल के छात्र सांस्कृतिक समूह स्फुलिंग, कामरेड मेघनाद तथा खासकर तमिलनाडु की पाला टोली द्वारा कामरेड कोवन के नेतृत्व में प्रस्तुत जोशीले कार्यक्रमों से सभा गूंज उठी। बैठक का समापन स्फुलिंग के एक सदस्य द्वारा गाए गए इंटरनेशनल के जोशीले स्वर के साथ हुआ।

भारत में पहली कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस की शताब्दी को चिंहित करने वाली यह बैठक अत्यंत उत्साह, मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओ त्से तुंग विचारधारा में दृढ़ विश्वास और फासीवादी हमलों तथा फासीवादी तानाशाही थोपने के प्रयासों को पराजित करने के साथ–साथ भारत में नई जनवादी क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के नए संकल्प के साथ संपन्न हुई। जुझारू जन आंदोलनों के निर्माण और उन्हें तेज करने की शपथ लेते हुए साथी नारों की गूंज के बीच सभास्थल से रवाना हुए जिससे नई जनवादी क्रांति को विजय तक पहुंचाने में मदद हो। "लड़ने का साहस करो, जीतने का साहस करो" की भावना के साथ जुझारू जन आंदोलनों के निर्माण का केंद्रीय समिति का आह्वान प्रतिभागियों के बीच गूंजता रहा।

भारत में पहली कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस के सौ वर्षों ने कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। इन्हीं सबकों से सीख लेते हुए और वर्तमान की ठोस परिस्थितियों के आधार पर पार्टी को भारत में नई जनवादी क्रांति को विजयी बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा।

24 दिसम्बर 2025 कोलकाता : सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती (बायें) प.बंगाल की टीम स्फुलिंग तथा तमिलनाडु की टीम पाला

मनरेगा समाप्त : महिलाओं, दलितों समेत ग्रामीण गरीबों पर हमला

अनिल दुबे

आरएसएस–बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को चुनावी हथियार में बदल दिया है। राशन कार्ड, आवास योजना, शौचालय, गैस सिलेंडर, बिजली कनेक्शन जैसे कार्यक्रमों का संचालन और आवंटन भाजपा–संघ कार्यालयों से संचालित होने लगा है। मनरेगा जो ग्रामीण गरीबों के लिए 100 दिन के रोजगार के लिए गारंटी कानून था, उसे समाप्त कर उसके स्थान पर वीबी– जीरामजी कानून संसद ने पारित कर दिया है। मनरेगा के तहत जो कानूनी अधिकार रोजगार को लेकर ग्रामीण बेरोजगारों के थे वह अब नहीं प्राप्त हो सकेंगे। नया रोजगार कानून पूरी तरह से केंद्रीकृत है वह उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जहां केन्द्र सरकार चाहेगी। इन सबसे बढ़कर बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी ग्रोथ, बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़ों में जो फर्जीगिरी है, वह बताती है कि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। ऐसे में मनरेगा जैसी हजारों करोड़ की प्रतिवर्ष खर्च वाली योजना सरकार को फिजूलखर्ची लगती है। इतना टंटा करने से बेहतर है कि चुनाव के समय बिहार मॉडल की तरह 5, 10 या 15 हजार रुपए वोटरों में बांट दिए जाएं। इस मंशा से ही मनरेगा के कानूनी आधार को समाप्त कर दिया गया है।

2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा कानून) संसद से सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) नाम दे दिया गया। मनरेगा योजना के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं का आकलन आगे होगा, लेकिन दो पंक्तियों में कहा जाए तो, 2006 से 2025 के अपने 20 वर्ष के जीवन में 4872.72 करोड़ दिनों का लोगों को रोजगार मिला, जिस पर 11.75 लाख करोड़ रुपए केंद्र व राज्य सरकारों ने मजदूरी भुगतान, सामग्रियों, और प्रशासनिक व्यय पर खर्च किये।

मनरेगा कानून कांग्रेस पार्टी ही नहीं देश के शासक वर्गों की नाकामियों का मकबरा जरुर था, क्योंकि 1947 के दशकों बाद भी भूमि सुधार कानून नहीं लागू किये गये, संपत्ति के असमान वितरण को ठीक नहीं किया गया, जिसके कारण भीषण गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर बनी रही। मनरेगा कानून जब आया तो देश की यह मांग कि रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया जाय, जिसका संविधान में वायदा भी है, उस दिशा में यह एक छोटा कदम था, लेकिन आरएसएस–भाजपा की सरकार ने उस सोच को ही समाप्त कर दिया। मनरेगा कानून में ग्रामीण क्षेत्रों में काम मांगे जाने पर 100 दिन रोजगार दिए जाने का नियम था। यह अलग बात है कि बीते दो दशकों में इस कानून के तहत 100 दिन का रोजगार किसी भी वर्ष जाब कार्ड धारकों को नहीं मिला और सोशल ऑडिट (सामाजिक लेखा परीक्षा) का प्रावधान न होने के कारण वह अपने पूरे जीवनकाल में अनियमितता और लूट का शिकार बनता रहा।

मनरेगा कानून के तहत वर्ष में 100 दिन के रोजगार का नियम था, लेकिन वर्ष 2019 से 2025 के दौरान देश भर में औसतन 50 दिन ही प्रति घर, प्रतिवर्ष रोजगार मिल सका। उत्तर प्रदेश में औसतन इन 5 वर्षों में 33 से 36 दिन का ही रोजगार लोगों को मिला और बिहार में 46 से 48 दिन का रोजगार मिला। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्टेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2024–25 का आंकड़ा बताता है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस वर्ष 33.61 दिन रोजगार मिला। सबसे ज्यादा केरल में 67.7 दिन, बिहार में 45.70 दिन, गुजरात में 49.55 दिन, मध्य प्रदेश में 48.85 दिन और कर्नाटक में 46.5 दिन ही लोगों को रोजगार मिला। कानून के मुताबिक मजदूर द्वारा काम मांगे जाने के 15 दिन में उसे रोजगार दिया जाना आवश्यक था। रोजगार न देने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था, लेकिन लगभग 50% जिन जॉब कार्ड धारकों को बीते वर्षों में रोजगार नहीं मिला, उन्हें कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। जब मनरेगा में 100 दिन का रोजगार कभी नहीं मिला, तो नयी रोजगार योजना में 125 दिन के रोजगार की बात ग्रामीण बेरोजगारों के लिए 'मुंगेरीलाल के सपने' जैसा है। देश भर में 2020–21 से 2024–25 के दौरान औसतन 50 दिन रोजगार मिला। इसमें 2022–23 में 47. 84 दिन और 2023–24 में 52.7 दिन का रोजगार लोगों को मिला। किसी भी राज्य ने 100 दिन का रोजगार नहीं दिया।

मनरेगा की ऑफिसियल वेबसाइट के अनुसार देश में अब तक 15.52 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए गए, लेकिन इस समय 8.61 करोड़ जॉब कार्ड एक्टिव हैं। सरकार ने फर्जी, डुप्लीकेट अथवा इस्तेमाल न होने वाले कार्ड बता कर 5.48 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड समाप्त कर दिए। हालांकि सरकार संसद में दूसरे आंकड़े बताती है। संसद के बीते सत्र में राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि देश भर में 4.43 करोड़ जॉब कार्ड हटाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बिहार में 1.4 करोड़ कार्ड हटाए गए। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहां 90.4 लाख जॉब कार्ड हटाए गए हैं। सरकार ने बताया कि कुल हटाए गए जॉब कार्ड में बिहार और उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत है। इसके बाद उड़ीसा में 41.6 लाख, मध्य प्रदेश में 32.7 लाख, पश्चिम बंगाल में 24.2 लाख और राजस्थान में 10.5 लाख जॉब कार्ड हटाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2020–21 में देश भर में 27. 9 लाख जॉब कार्ड हटाए गए। 2021–22 में 50.3 लाख, 2022–23 में 2.2 करोड़, 2023–24 में एक करोड़ और 2024–25 में 38.5 लाख जॉब कार्ड हटाए गए हैं।

कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश से प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटे, तो केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह नाकारा थीं। रोजगार व भोजन तो दूर, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं था। उस समय मनरेगा ने दसियों लाख लोगों को उनके गांव में रोजगार दिया। हालांकि फिर भी उस दौर में 39 प्रतिशत परिवारों को एक भी दिन का काम नहीं मिला। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा कोविड–19 और मनरेगा पर जारी रिपोर्ट 'एंप्लॉयमेंट गारंटी ड्यूटी कोविड–19 रोल ऑफ मनरेगा इन द ईयर आफ्टर द 2020 लॉकडाउन' बताती है कि महामारी के दौरान भी केवल 36 प्रतिशत परिवारों को 15 दिन के भीतर उनका मेहनताना मिल पाया। यह रिपोर्ट 4 राज्यों के 8 ब्लॉक के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई थी, जिनमें बिहार का मधुबनी व सुपौल, कर्नाटक में बीदर, देवदुर्ग, रायचूर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर और महाराष्ट्र में वर्धा और नासिक थे।

आरएसएस–बीजेपी सरकार की मनरेगा योजना के प्रति गंभीरता उसके बजट आबंटन में दिखाई देती है। 2020–21 में 1 लाख 9000 करोड़, आबंटित किए गए। 2021–22 में 96 हजार 812 करोड़, 2022–23 में 88 हजार 290 करोड़, 2023–24 में 88 हजार 217 करोड़, 2024–25 में 85 हजार 640 करोड़ और 2025–26 में 86 हजार करोड रुपए आबंटित किए गए। राज्यों की मांग और काम के अनुरूप बजट आबंटन कम ही रहा। अधिकांश मनरेगा भुगतान लंबित रहे हैं। 2023–24 में बजट आबंटन 60000 करोड़ रुपए था, लेकिन खर्च बढ़कर 86 हजार करोड़ हो गया। इस तरह केंद्रीय बजट का जितना आबंटन होता रहा है, उसमें से अच्छा हिस्सा मनरेगा मजदूरी का बकाया रहती रही है। 2022–23 के लिए मनरेगा के तहत बकाया भुगतान सहित कुल खर्च 99 हजार 514 करोड रुपए था। बकाया राशि 11000 करोड रुपए से अधिक थी। आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार बीते 10 वर्षों में मनरेगा को लेकर निरंतर उदासीन रही है।

और अब वीबी– जीरामजी में ग्रामीण गरीबों का 100 दिन का रोजगार पाने का कानूनी अधिकार ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब रोजगार मांग पर नहीं, बल्कि आपूर्ति पर आधारित होगा। नए विधेयक में कहने को तो रोजगार के दिन 100 से बढ़ा कर 125 कर दिए गए हैं, लेकिन अब रोजगार मांगने पर नहीं, बल्कि केंद्र द्वारा स्वीकृत उस इलाके के लिए कार्य योजना पर आधारित होगा। सबसे बड़ी बात खेती के मौसम के दिनों मे 60 दिनों तक कोई काम नहीं दिया जाएगा। योजना में केंद्र सरकार की भागीदारी 60 और राज्यों की 40 प्रतिशत के अनुपात पर निर्धारित की गई है, जबकि मनरेगा में 90 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार देती थी और 10 प्रतिशत योगदान राज्यों का था, जिसे अधिकांश राज्य सरकारें नहीं दे पाती थीं। अब तो राज्य सरकारें जीएसटी लागू होने के बाद कटोरा लेकर पूरी तरह केंद्रीय मदद की मोहताज हो गई हैं। ऐसे में ग्रामीण रोजगार योजना पर खर्च उनके लिए बोझ हो जाएगा। इसके अलावा यह वित्तीय मदद और योजना के क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को और मजबूत कर देगा।

मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार पाने का कानूनी अधिकार था और मजदूरी से जुड़ा पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी। नए कानून के मुताबिक केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किए जाने वाले विकसित भारत मानकों के आधार पर राज्य या क्षेत्र वार आबंटन तय करेगी। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि आबंटन से अधिक होने वाला कोई भी खर्च राज्य सरकारों को ही वहन करना होगा। इसका असर यह होगा कि केंद्र सरकार एकतरफा फंडिंग का स्तर तय कर सकेगी, जिसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि राज्य कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे। इस तरह यह मनरेगा की मूल धारणा अवधारणा को ही पूरी तरह उलट देता है, जहां पहले बजट मांग के अनुसार आबंटित होता था। अब नए विधेयक के तहत मांग को तय बजट के भीतर समेटना होगा।

वीबी– जीरामजी विधेयक की धारा 5(1) में कहा गया है कि रोजगार केवल उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और प्रति परिवार को कम से कम 125 दिन का काम दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र को केंद्र सरकार अधिसूचित नहीं करती, तो वहां के निवासियों के पास रोजगार का कोई कानूनी अधिकार नहीं रहेगा। अर्थात एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अब पूरी तरह केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर हो जाएगी। विधेयक साफ कहता है कि कार्यक्रम कहां लागू होगा इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। रोजगार गारंटी राज्यों की अपनी हिस्सेदारी का खर्चा उठाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। इस तरह नयी योजना ना तो राष्ट्रीय रह जाएगी और ना ही उसमें कोई गारंटी होगी।

वीबी– जीरामजी योजना में तकनीक का उपयोग अनिवार्य किया गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर कानून में मजदूरों व अधिकारियों दोनों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, साथ ही जिओ स्पेशल टूल्स, सैटलाइट इमेजरी, डिजिटल मैपिंग और मोबाइल ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग को अनिवार्य किया गया है। यह गरीब ग्रामीण मजदूर के लिए स्मार्टफोन रखने और डाटा खरीदने की समस्या पैदा करेगा। वहीं दूर दराज के इलाकों में डिजिटल इंडिया नेटवर्क पहले ही मजाक बन चुका है। कृषि मौसम अर्थात खेती के सीजन में 2 माह तक काम नहीं दिया जाएगा, जिसका असर खेत मजदूरी की दर पर भी पड़ेगा और आदिवासी व दूरस्थ इलाकों के मजदूरों पर, जहां मनरेगा के तहत मिलने वाला रोजगार आमतौर पर बागवानी, पौधारोपण और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों से जुड़ा रहता था। अब बात करें संविधान की भावना का तो यह विधेयक उसका पूरी तरह उल्लंघन करता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत मजदूरों, ग्राम सभाओं तथा राज्यों को मिले अधिकार छीन कर नया विधेयक सभी शक्तियां केंद्र सरकार को सौंपता है।

अपनी तमाम खामियों के बावजूद मनरेगा ने गांव के गरीब बेरोजगारों के हालात बदलने में कुछ योगदान दिया है। मनरेगा शुरु होने से पूर्व खेती के कार्य के लिए कोई निश्चित मजदूरी दर नहीं थी। आज सभी राज्यों में मनरेगा मजदूरी औसत 250 रुपए से अधिक है। अब गांव में किसी को काम कराना है, तो उसपर इससे अधिक मजदूरी देने का दबाव होता है। दूसरा मनरेगा ने मामूली ही सही कुछ लोगों के हाथ में पैसा भी दिया है। ग्रामीण मजदूर जो आमतौर पर दलित जातियों से आते हैं, उन्हें मनरेगा ने गांव में जातीय उत्पीड़न से बचने का एक विकल्प भी दिया था। इस तरह मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को रोजगार का अधिकार, और बिना जातीय उत्पीड़न के काम करने का अवसर दिया था। इससे उनमें जागरूकता भी पैदा हुई है। वीबी–

(शेष पृष्ठ 5 पर)

सीड बिल 2025: संघीय ढ़ांचा और किसान खतरे में हैं

राजिन्दर सिंह दीपसिंहवाला

केंद्र सरकार का प्रस्तावित बीज बिल 2025 संघीय झ़ांचे (फेडरलिज्म) और किसानों पर एक गंभीर हमला है। खेती और खेती की रिसर्च राज्य के विषय हैं, लेकिन आजकल केन्द्रीकरण करना एक नया नॉर्मल बन गया है। 2020 के किसान आंदोलन ने केंद्र सरकार द्वारा स्टेट लिस्ट में दखल को पीछे धकेल दिया था। हालाँकि केंद्र सरकार अड़ी हुई है और अपनी संवैधानिक सीमाओं को मानने को तैयार नहीं है, उसका राज्य की शक्तियों पर दखल देना जारी है।

बीज बिल असल में कॉरपोरेट के पक्ष में और किसान विरोधी बिल है। सीड बिल का सेक्शन 3 सेंट्रल सीड कमेटी बनाने के बारे में है और सेक्शन 5 इसकी शक्तियों से संबंधित है। यह कमेटी को बीज खरीदने और प्रोग्रामिंग, बीज के विकास, उत्पादन, संग्रहण और प्रोसेसिंग, बीजों के निर्यात और आयात, पंजीकरण, सर्टिफिकेशन और बीज की जांच के स्टैंडर्ड, नेशनल और स्टेट सीड वैरायटी के पंजीकरण और उन्हें लागू करने का पूरा अधिकार देता है।

बिल का सेक्शन 10 राज्य सीड कमेटी से संबंधित है, लेकिन यह एक दिखावा है। जब सारी ताकत केन्द्र सरकार और केन्द्रीय सीड कमिटी के पास हो जाती है, तो राज्य सीड कमिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता।

सरकार यह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है कि यह बिल किसानों की रक्षा करता है। सेक्शन 13 किसानों को बीजों पंजीकरण से छूट देता है और उन्हें अपने बीज रखने, इस्तेमाल करने और बेचने की इजाजत देता है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि हरित क्रांति से हुई मोनोकल्चर ने बीजों की स्थानीय किस्मों को लगभग खत्म कर दिया है। आज किसान बीज खरीदने के लिए काफी हद तक बाजार पर निर्भर हैं। एक पल के लिए ऐसा लग सकता है कि किसान अपने बीज रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाजार उन्मुख खेती व्यवस्था के जमाने में, अगर ज्यादा पैदावार वाला बीज बाजार में आ जाता है, तो किसान अपने पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल कैसे जारी रख सकता है? उन्हें बाजार से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और बीज का क्षेत्र बड़ी कम्पनियों के हाथों में चला जाएगा।

कॉरपोरेट लूट का मतलब "बड़े बनो या निकल जाओ" बीजों के पंजीकरण में साफ दिखता है। बीज बिल का सेक्शन 13 कहता है कि "किसानों की वैरायटी और सिर्फ निर्यात के मकसद से पैदा की गई किसी भी वैरायटी को छोड़कर, किसी भी तरह या वैरायटी का कोई भी बीज, तब तक बोने या लगाने के लिए नहीं बेचा जाएगा जब तक वह पंजीकृत न हो।" इससे छोटे और मार्जिनल बीज व्यापारी बाजार से बाहर हो जाएंगे और बड़ी कम्पनियां उस जगह पर कब्जा कर लेंगी।

बिल विदेशी बीजों को पंजीकरण से भी छूट देता है। सेक्शन 33 (2) में कहा गया हैः "केन्द्र सरकार, अधिसूचना के जरिए, किसी गैर–पंजीकृत किस्म या वैरायटी के इम्पोर्ट की इजाजत दे सकती है।" दूसरी ओर, स्थानीय बीज बेचने वालों को गैर–पंजीकृत किस्में बेचने की इजाजत नहीं है। यह किस तरह का राष्ट्रवाद है?

WTO व्यवस्था के तहत, विदेशी बीजों को पहले से ही कई खास अधिकार मिले हुए हैं। भारतीय एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूशन विदेशी बीजों की किस्मों पर रिसर्च नहीं कर सकते। विदेशी बीज अमेरिकन वर्म जैसे कीड़े लाए हैं, जिन्हें बाद में कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया। सीड बिल बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्स का दबदबा और बढ़ाएगा, जिससे हमारी संस्थाएं सिर्फ दर्शक बन जाएंगी। प्रस्तावित बिल निजी संस्थाओं को सरकारी अनुसंधान संस्थाओं के बराबर मानता है। सेक्शन 16(1) में कहा गया है कि कमेटी किसी भी किस्म की खेती और इस्तेमाल की वैल्यू का पता लगाने के लिए ट्रायल करने के लिए एलिजिबल सेंटर्स को मान्यता दे सकती है। इनमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और "दूसरे संगठन" शामिल हो सकते हैं। यहां "दूसरे संगठन" का मतलब साफ तौर पर प्राइवेट कंपनियों से है। अगर प्राइवेट कंपनियां बीज की गुणवत्ता (उपज) का मूल्यांकन करेंगी, तो इन कंपनियों का कौन मूल्यांकन करेगा?

सेक्शन 17(8)(I) यह साफ करता हैः "बीज सेक्टर में अनुसंधान व विकास में बेहतरीन काम को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार कई राज्यों में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक योग्यता पर आधारित और पारदर्शी केन्द्रीय एक्रेडिटेशन व्यवस्था बना सकती है।" भारतीय शासकों ने कभी भी देसी बीज की किस्मों पर भरोसा नहीं किया, न ही उनका उन पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने का इरादा रहा है। स्थानीय बीज सदियों से हमारे माहौल के हिसाब से ढल हुए हैं। हरित क्रांति ने स्थानीय बीजों को खत्म करना शुरू किया और यह सीड बिल उनके पूरी तरह खत्म होने का आखिरी हमला होगा। बीज की कीमतों के बारे में, केंद्र सरकार किसी भी बीज की किस्म की कीमत को सिर्फ "आपात स्थिति" में ही नियंत्रित कर सकती है। आपात स्थिति में कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी, एकाधिकारवादी कीमतें, या मुनाफाखोरी शामिल हैं, लेकिन इनमें से किसी भी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि कॉरपोरेट द्वारा शोषण पर कोई असरदार नियंत्रण नहीं होगा। दुनिया भर में छह बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन दुनिया के 75 प्रतिशत बीज, खेती पर अनुसंधान और कीटनाशकों को नियंत्रित करते हैं। भारत एक बड़ा बाजार है, जिसकी 46 प्रतिशत आबादी खेती में है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इस बाजार पर गहरी नजर रखे हुए हैं और भारत की सरकारें उन्हें सहूलियत देने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं।

आइए एक उदाहरण से देखते हैं कि कॉरपोरेट कब्जा कैसे साफ दिखता है। उदाहरण के लिए, बायर एग्रीकल्चरल रिसर्च, बीज व कीटनाशक बनाने का काम करता है और साथ ही इंसानों और बिल्लियों के लिए दवाएँ भी बनाता है। वे ऐसे बीजों को बढ़ावा देते हैं जिनमे ज्यादा खाद और कीटनाशकों की जरूरत होती है। इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इससे हमारी खाद्य सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा होता है।

धारा 34 से 37 अपराधों और सजाओं से संबंधित हैं, लेकिन वे नकली बीजों के कारण फसल खराब होने या कम पैदावार होने की स्थिति में किसानों की रक्षा नहीं करते हैं। यह बिल इस बारे में चुप है कि किसान कैसे शिकायत कर सकते हैं, मुआवजा कैसे दिया जाएगा, या खराब बीजों के कारण फसल खराब होने पर कितना मुआवजा दिया जाएगा। धारा 35 में कहा गया है कि कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगी जब तक कि धारा 31 के तहत बीज निरीक्षक द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। अगर बड़ी कंपनियाँ बीज क्षेत्र में आती हैं और अगर कोई बीज बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाता है, तो बीज निरीक्षक, जो सीमित अधिकार क्षेत्र वाला एक आम अधिकारी होगा, वह शिकायत कैसे दर्ज करेगा? जब सरकारें कॉरपोरेशनों को बढ़ावा दे रही हैं, तो एक आम सरकारी कर्मचारी उन्हें न्याय के कटघरे में कैसे ला सकता है?

यह बिल न केवल कॉरपोरेट समर्थक है, बल्कि केंद्रीयकरण भी थोपता है। हम पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को हतोत्साहित होते देख रहे हैं।

हालांकि धारा 10 एक राज्य बीज समिति की स्थापना करती है, धारा 38(3) यह बिल्कुल स्पष्ट करती है कि कोई मामला नीतिगत प्रश्न है या नहीं, इस पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा। धारा 43 केंद्र सरकार को बिल के कानून बनने के बाद नियम बनाने का अधिकार देती है। कोई भी राज्य सरकार या कृषि विश्वविद्यालय राज्य की कृषि जरूरतों के अनुसार काम नहीं कर पायेगा। हालांकि कृषि राज्य का विषय है, केंद्र सरकार अपनी मर्जी थोपती रहती है। उदाहरण के लिए, लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में तीन साल से जीएम सरसों के परीक्षण चल रहे हैं। पंजाब सरकार ने न तो इसकी अनुमति दी है और न ही इसका विरोध किया है। केंद्र सरकार केंद्रीयकरण करने की होड़ में है और राज्य सरकार अपने संघीय अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है, केवल कभी–कभी दिखावटी बातें करती है।

पंजाब न केवल अपने संघीय अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में भी विफल रहा है। **AAP** सरकार ने सत्ता में आने पर राज्य कृषि नीति का वायदा किया था, लेकिन नीति अभी तक लागू नहीं की गई है। अगर बीज और अनुसंधान क्षेत्रों पर केंद्र का कब्जा हो जाता है, तो राज्य कृषि नीति के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। पंजाब गंभीर कृषि संकट का सामना कर रहा है, भूजल खत्म होने के कगार पर है, फिर भी पंजाब सरकार यथास्थिति बनाए हुए है। पब्लिक सेक्टर में खेती पर अनुसंधान और शिक्षा को लगातार हतोत्साहित किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब खेती और बागवानी विभागों की जमीन बेचने का फैसला किया है। यह कृषि अनुसंधान, एग्रो–इंडस्ट्री और बागवानी के प्रति घटती गंभीरता को दिखाता है। प्राइवेट सेक्टर के संस्थान फल–फूल रहे हैं। पंजाब में, पिछले 81 सालों से **BSc** एग्रीकल्चर कोर्स कराने वाला एकमात्र सरकारी कॉलेज (गवर्नमेंट बृजिंद्रा कॉलेज, फरीदकोट) को कोर्स बंद करने के लिए मजबूर किया गया। महाराष्ट्र में राज्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़े दस सरकारी कॉलेजों को पिछले दो सालों में बंद कर दिया गया है। पालमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का निजीकरण होने वाला है।

जैसा कि डॉ. वंदना शिवा ने एक बार कहा था, "जो बीज को कंट्रोल करता है, वह दुनिया को कंट्रोल करता है।"

केंद्र सरकार को बिल रद्द कर देना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी मांग कर रहा है और उसने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है।

मनरेगा समाप्त

(पृष्ठ 4 का शेष)

जीरामजी योजना अधिकार के उस बोध को ही समाप्त करती है। ऐसे में ग्रामीण श्रमिकों को बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी के कारण मजदूरी के लिए उन्हीं सामंतों के यहां पुनः काम करने जाना पड़ेगा और फिर से सामाजिक व जातीय उत्पीड़न झेलना होगा।

और अंत में यह बात कि आरएसएस–बीजेपी की सरकार ने मनरेगा के स्थान पर वीबी– जीरामजी को जिस हड़बड़ी में योजना से जुड़े पक्षकारों श्रमिकों, भूमिहीन मजदूरों संगठनों, जन संगठनों से बिना विचार–विमर्श किए संसद से पारित किया है, वह उसके पूर्ववर्ती फैसलों की तरह फासिस्ट शासन प्रणाली का ही अंदाज–ए–बयां है। ग्रामीण बेरोजगारी खास तौर पर गांवों में महिलाओं के रोजगार के सवाल को मनरेगा कुछ हद तक हल करता था और उनके सशक्तिकरण में योगदान देता था। वहीं नई रोजगार योजना में वेतन वृद्धि की भी कोई बात नहीं कही गई है। कोरोना में वर्ष 2022–23 में जब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी, उस समय मजदूरी में 4.25 प्रतिशत की वृद्धि केंद्र ने की थी, जबकि महंगाई दर लगातार 6 से 7 प्रतिशत पर बनी रही। यह वृद्धि मनरेगा मजदूरी में विभिन्न राज्यों में 4 से 21 रूपए थी। अप्रैल 2022 में ही केंद्र सरकार ने संशोधित न्यूनतम मजदूरी दर कृषि क्षेत्र में अकुशल श्रमिक ग्रेड ए में 417 रूपए, बी ग्रेड में 380 और सी में 370 रुपए घोषित की थी। मनरेगा के स्थान पर आए वीबी– जीरामजी में वेतन वृद्धि को भी शामिल किया जाना चाहिए था। पहले मनरेगा में अवकाश के साथ 8 घंटे का काम होता था, जो अब 4 लेबर कोड के कारण 12 घंटा कर दिया गया है।

देश और दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने सरकार के इस कदम को बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताया है। देश भर में वीबी–जीरामजी का विरोध किसान संगठन (एसकेएम), मनरेगा श्रमिक संगठन, भूमिहीन किसान मजदूर संगठन और नागरिक संगठन कर रहे हैं। हाल में पारित बीज, बीमा, बिजली बिल, वीबी–जीरामजी, 4– लेबर कोड अमल के सवालों पर संबंधित यूनियनें व जन संगठन, केंद्र सरकार के इन काले कानूनों और विधेयकों के खिलाफ व्यापक लामबंदी और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।

गुंटूर (आंध्र प्रदेश) : का. मदाला नारायणस्वामी (MNS) की 12वीं पुण्यतिथि

तीन पीढ़ियों के नेता और तीन क्रांतियों से जुडे रहे नेता का. मदाला नारायणस्वामी की 12वीं पुण्यतिथि 9–12–2025 को गुंटूर शहर के रेवेन्यू कल्याण मंडपम में मनाई गई। इस सभा से पहले पोस्ट ऑफिस सेंटर से कल्याण मंडपम तक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के सामने के आंगन में अरुणोदय कलाकार ढोल और कैटरपिलर नृत्य के साथ विशेष आकर्षण थे। CPI(ML) न्यू डेमोक्रेसी के जिला सचिव और राज्य समिति सदस्य कॉमरेड एन. विष्णु ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

बैठक के मुख्य अतिथि किसान संघ के नेता कॉमरेड कोल्ला राजमोहन ने कहा कि कॉ. मदला नारायणस्वामी द्वारा दिखाया गया बलिदान, दृढ़ता और समर्पण आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि गुंटूर जिला कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण था और उन्होंने कई गांवों में सामंतवाद विरोधी संघर्षों का नेतृत्व किया और कई हमलों के सामने दबे–कुचले लोगों के साथ खड़े रहे। 15 अगस्त, 1947 को भारत को आजादी नहीं मिली थी। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की झूठी आजादी का विरोध किया। नरसयपालम में एक बैठक हुई और काला झंडा फहराया गया। बैठक मदला नारायणस्वामी के नेतृत्व में आयोजित की गई थी।

उन्होंने कहा कि ओंगोल के आसपास के सभी गांवों के लोग कॉ. मदला नारायणस्वामी जी को जानते थे और वह सभी गांवों में जाकर लोगों के आंदोलनों का नेतृत्व करते थे। जब वह गुप्त जीवन में थे, तो लोग उनके भूमिगत जीवन के बारे में कहानियां और किस्से सुनाते थे। गुंटूर ने तेलंगाना के सशस्त्र संघर्ष में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। इस उद्देश्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया है। तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष खत्म होने के बाद उन्हें 1952 में विधायक और 1962 में संसद सदस्य चुना गया। 1966 में जब आंध्र प्रदेश में विशाखा स्टील प्लांट के लिए एक बड़े आंदोलन में 32 युवाओं को मार दिया गया, तो कॉमरेड मडाला नारायण स्वामी ने संसद में 90 मिनट तक भाषण दिया और फायरिंग के विरोध में संसद से इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हल चलाने वाले की जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। बाद में, उन्होंने भारत–चीन मैत्री संघ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉमरेड मदाला नारायणस्वामी का जीवन कम्युनिस्टों की वर्तमान पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है।

CPI(ML) न्यू डेमोक्रेसी के राज्य प्रवक्ता कॉमरेड पी. प्रसाद ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने गठन के 100 साल मना रही है और क्रांतिकारी इतिहास वाले कॉ. मडाला नारायणस्वामी की बैठक मनाई जा रही है।

CPI(ML) न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमेटी ने कॉ. रायला सुभाष चंद्र बोस (रवन्ना), कॉ. पायला वासुदेव राव, कॉ. चंद्र पुल्ला रेड्डी और कॉ. मदाला नारायणस्वामी की बैठकें आयोजित करने का फैसला किया था। का. MNS भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन की ऐतिहासिक धरती से केंद्रीय समिति के सदस्य थे और हम उनके काम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक धनी किसान परिवार में जन्मे, कॉ. MNS बनारस विश्वविद्यालय में पढ़े। वह ए. अहमद के साथ पार्टी में शामिल हुए, जो एक ऐसे सेनानी थे जिन्होंने झंडा झुकाए बिना अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 1936 और 1937 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कोठापटनम और मन्थेना वारीपालेम में पॉलिटिकल स्कूल शुरू किए थे। स्कूल में हिस्सा लेने वाले कई छात्र कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद, वह बनारस से सीधे ओंगोल में जॉइंट कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस गए, जहाँ उन्होंने अपना सामान रखा और सीधे गाँव चले गए। उन्होंने कहा कि गुडीवाड़ा इलाके के कतुर और एलमर्रू गाँव कम्युनिस्ट पार्टी के मजबूत गढ़ थे, ऐसे गाँवों में, तत्कालीन सरकार और पुलिस ने गाँवों पर हमला किया और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की पत्नियों के कपड़े उतारकर गांधी की मूर्ति के चारों ओर लपेट दिए गए। एलमर्रू गाँव के कडियाला गोपाल राव के भाई रंगा राव की बेटी सुलोचनम्मा की शादी का. एम.एन.एस. से हुई थी।

देश की राजनीति का विश्लेषण करते हुए का. पी.पी. ने कहा कि आर्थिक असमानता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। दौलत कॉरपोरेट और निजी ताकतों ने लूट ली है। नजरबंदी कांग्रेस के समय शुरू हुई और फासीवादी शासन के दौरान इसने संगठित रूप ले लिया। उन्होंने कहा कि माओवादी पार्टी के नेता, जो जंगल की दौलत को कॉरपोरेट को सौंपने का विरोध कर रहे थे, आज उन्हें और उनके समर्थकों को मारा जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कपास किसानों पर संकट आ गया है, जब भारतीय शासकों ने ट्रंप के अनुरोध पर भारत में कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटा दिया।

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के राज्य महासचिव कॉ. चिट्टीपति वेंकटेश्वरलू ने याद किया कि कॉ. MNS ने अपने पैतृक गांव मैनामपाडु में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वह दलितों के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि अपनी जवानी के दिनों में, कॉ. मडाला नारायणस्वामी ने गांव में दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। जब कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा तो कॉ. नारायणस्वामी भूमिगत हो गए। उन्होंने कहा कि उस समय, कॉ. मदाला नारायणस्वामी के छोटे भाई, मदाला नरसैया और मदाला कोटय्या को मैनामपाडु गांव में पकड़ लिया गया और गुंडला वागु के पास गोली मार दी गई। प्रकाशम जिले के आंदोलन को फिर से खड़ा करने में कॉमरेड मडाला नारायणस्वामी का धैर्य और कड़ी मेहनत अविस्मरणीय है।

पार्टी की जिला सविच का. विष्णु ने कहा कि 86 साल की उम्र में का. एम. एन.एस. ने गरीब लोगों को धर्म संस्थानों और चैरिटी की जमीनें बांटने के लिए आंदोलन का फैसला किया। उन्होंने याद किया कि 800 एकड़ से ज्यादा जमीन हासिल की गई थी और उस जमीन से गरीबों को उनका सम्मान दिलाया गया।

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के संयुक्त गुंटूर जिला सचिव कॉ. मेकला प्रसाद ने कहा कि संयुक्त गुंटूर जिले में जमीन का मुद्दा बहुत अहम है और इसे हासिल करना होगा। उन्होंने गरीबों की जमीन हड़पने के लिए कॉरपोरेट की आलोचना की। उन्होंने जिले में आवास के अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा गुंटूर जिला अध्यक्ष वेलपुरी नदासिम्हा राव, POW राज्य उपाध्यक्ष आर. गंगाभवानी, IFTU राज्य अध्यक्ष के. पोलारी, अरुणोदय राज्य अध्यक्ष चोप्पारा जलैया, PDSU राज्य महासचिव एम. विनोद, IFTU के नागेश्वर राव और अन्य इस मौके पर मौजूद थे।

रोशनी का नृत्य, जिसमें अरुणोदय कलाकारों ने जोहार अर्पित किया, वह विशेष रूप से प्रभावशाली था। अरुणोदय अंजैया, चोप्पारा जलन्ना, जयलक्ष्मी सुधा, मानसा, प्रसन्ना, दुर्गा, पद्मा और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

का. एम.एन.एस. की स्मृति सभा के इस कार्यक्रम में 500 लोग शामिल हुए। यू साथी गुंटूर जिले के विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रांत के विभिन्न जिलों से थे।

कुरनुल : का. नीलम रामचंद्रैया तथा जेसीएस प्रसाद की स्मृति सभा

कॉमरेड नीलम रामचंद्रैया (NR) और जे.सी.एस. प्रसाद की शहादत के पचास साल पूरे होने के मौके पर, 6–11–2025 को आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर में एक स्मृति रैली और मीटिंग हुई। इसे CPI ML ND कुरनूल जिला कमेटी ने ऑर्गनाइज किया था। मीटिंग से पहले, शहर में दो किलोमीटर से ज्यादा लंबी रैली भी निकाली गई। रैली में पार्टी समर्थकों के साथ–साथ दो सौ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने भी PDSU के झंडे तले हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स ने PDSU के लीडर JCS प्रसाद की याद में हिस्सा लिया था। मीटिंग की अध्यक्षता वेंकटस्वामी ने की। वक्ताओं में का. प्रसाद (पीपी), चिट्टीपति, प्रभाकर, विमला, अरुणोदय, कुरनूल जिला सचिव मल्लिकार्जुन, नंदियाल जिला सचिव नरसिम्हुलु, भास्कर PDSU प्रेसिडेंट, POW की मणि आदि शामिल थे।

NR टीचर्स यूनियन (APTF) के लीडर थे, टीचर्स कोटे से पूर्व MLC थे, 1962 के MLC चुनावों में यूनाइटेड CPI से चुने गए थे। उन्होंने टीचर की नौकरी छोड़ दी और पार्टी का काम संभाला। उन्होंने नक्सलबाड़ी से पहले CPM के DCS के तौर पर काम किया। 1971 में डी.वी. और टी.एन. से अलग होने के बाद वे का. सी.पी. के नेतृत्व में सी.पी. तथा पी. आर. के साथ तीन सदस्यीय राज्य कमेटी के सदस्य बने। NR ने मैदानी इलाके की जिम्मेदारी संभाली। सितंबर 1973 में हुई राज्य कॉन्फ्रेंस में उन्हें एम. एन.एस. और मल्लारेड्डी के साथ पांच सदस्यीय पी.सी. के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया। JCS PDSU के संस्थापक थे। उन्हें एक मुखबिर की मदद से पुलिस ने पकड़ा और इमरजेंसी के दौरान 5–11–1975 को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया।

कॉ. एन.आर. के राजनीतिक जीवन पर CPI(ML) ND कुरनूल जिला कमेटी ने एक किताब प्रकाशित की, जिसमें इस संदर्भ में लिखे गए लेखों का संकलन है और इसे कॉमरेड एन.आर. के परिवार के सदस्यों ने लॉन्च किया जो इस मीटिंग में शामिल हुए।

उत्तर प्रदेश : कौशाम्बी जिला मुख्यालय पर बालू मजदूरों का प्रदर्शन

बालू मजदूरों ने एआईकेएमएस के झंडे तले, हाथों में नारों से सुसज्जित रंगबिरंगी तख्तियों और लाल झंडे लेकर दिनांक 18 दिसम्बर 2025 को, नदी तल से खनन पर 24 जून 2019 के अवैध

शासनादेश के तहत लगाए गए प्रतिबंध, जिसके कारण नावों से खनन बंद हो गया है, के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने एसडीएम मंझनपुर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह को एक मांग पत्र सौंपा जिसमें मांग की गई कि रेत खनन नावों के जरिए हाथ व बेलचा से किया जाए और सभी घाटों को खोला जाए। साथ ही 24 जून 2019 के आदेश को वापस लिया जाए।

24 जून 2019 के आदेश से बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि शक्तिशाली रेत माफिया रेत संचालन को नियंत्रित कर रहे हैं और मशीनों और जेसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेताओं ने अपने वक्तव्य में कहा कि योगी सरकार का माफिया राज खत्म होने का दावा एक दिखावा है और रेत माफिया मजबूती से भाजपा के पीछे संगठित है और पूरी तरह बेलगाम हैं। वे नदी घाटों को काट कर सूखी बालू उठाकर नदी की पारिस्थितिकी और मत्स्य पालन को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

पिछले कई सालों से भाजपा समर्थक निषाद राज पार्टी ने बिरादरीगत गोलबंदी करके राज्य सरकार में भागीदारी के माध्यम से मछुआरा समाज की समस्याओं को हल करने के दिवास्वप्न का प्रचार तेज किया हुआ है और साथ में पुलिस दमन व पुलिस केसों के भय फैलाने का इस्तेमाल कर आम गरीबों को निरुत्साहित किया हुआ है। परन्तु धीरे–धीरे बढ़ती बेरोजगारी की मार ने लोगों को नदी पर आधारित अपने पारम्परिक रोजगार की रक्षा और भविष्य की सुरक्षा पर सोचने के लिए मजबूर किया है।

प्रदर्शन में नए बिजली बिल 2025 का विरोध करते हुए सभी घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग भी उठाई। नए बिजली बिल में कम खपत करने वाले गरीबों से बिजली बिल वसूली की हालिया कार्रवाई, जिनके फर्जी बिलिंग, ऊंचे ब्याज के कारण भारी बिल और बिजली काटने की धमकी, मजदूरों को अंधेरे में जीवन जीने के खतरे में डाल रही है। बिजली दरों में वृद्धि भी की गयी है और अब डिजिटल मीटर द्वारा सभी पीक आवर्स पर, जब मांग ज्यादा होती है, अधिक रेट वसूलने का भी प्राविधान है। प्रदर्शन में यूरिया और डीएपी की बड़े पैमाने पर चल रही कालाबाजारी का भी विरोध किया गया।

देहरादून : त्रिपुरा के चकमा छात्र की हत्या का विरोध

उत्तराखंड में देहरादून में एक चकमा छात्र की हत्या के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के नामों के आने से नागरिक संगठनों का गुस्सा और बढ़ा है। पुलिस द्वारा इस हत्या के नस्लीय चरित्र को नकारकर इसको आम अपराध दिखाने की कोशिशों ने पुलिय को कटघरें में खड़ा कर दिया है।

हत्या के विरोध में बहुत से मशाल जुलुस निकाले गये हैं। इनमें उत्तर पूर्व के छात्रों ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया है। नागरिक संगठनों के साथ ही सभी विपक्षी दलों तथा जनवादी संगठनों ने हत्या की निंदा की है।

इस हत्या तथा इसके व्यापक विरोध से आर.एस.एस.–भाजपा की राज्य सरकार के खिलाफ व्यापक गुस्सा है। 4 जनवरी को संयुक्त विरोध का कार्यक्रम है।

मुकेश मलौद दिल्ली में रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार

(पृष्ठ 1 का शेष)

तबकों, पंजाब के दलितों का प्रबुद्ध और साहसी उभार रहा है, जिसने पंचायती भूमि पर दलितों के लिए आरक्षित एक–तिहाई जमीन प्राप्त करने के लिए सौ से अधिक गांवों के दसियों हज़ार दलितों को संगठित किया है और ज़मींदारों के नियंत्रण से जमीन को मुक्त कराया है। जून 2014 से शुरु होकर इसने इस साल मई में हज़ारों मजदूरों को 'बिर इसवान' गाँव में जिन्द रियासत के पूर्व राजा की 927 एकड़ भूमि के वितरण के लिए गोलबंद किया था। इसमें 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया शामिल थे और इनमें संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के प्रमुख घटक संगठन शामिल थे। केन्द्रीय प्रगतिशील लेखक सभा, पंजाब सभ्यचारक मंच, बहुत सारे लेखकों और कांग्रेस सांसद धरमवीर गांधी तथा अमर सिंह ने भी तत्काल इस गिरफ्तारी की निन्दा की और मुकेश मलौद को रिहा करने की मांग की है।

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की केन्दीय कार्यकारिणी ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए विरोध करने का आवाहन किया। इंडियन फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (इफ्टू) की नेशनल कमेटी, जन हस्तक्षेप तथा पी.डी.एस.यू. समेत

और 300 को जेल भेजा गया। पिछले 12 सालों में एक शहादत के साथ हजारों लोगों ने भीषण पुलिस दमन, बेरहम लाठी चार्ज, गम्भीर चोटों और हजारों गिरफ्तारियां झेलते हुए आन्दोलन को लगातार आगे बढ़ाया है। सभी संघर्षों के अंत में वार्ता के दौरान पुलिस ने दलितों पर दर्ज मामलों की समीक्षा का वायदा किया था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया।

आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दमन करने का फैसला इस बात से स्पष्ट है कि उसने कल विरोध करने पहुंचे बहु–संगठनात्मक प्रतिनिधिमंडल को बताया कि गिरफ्तारियां पुराने मामलों के आधार पर की गई हैं। प्रतिनिधिमंडल में जेडपीएससी, पेंडू मज़दूर यूनियन, नौजवान भारत सभा, स्त्री जागृति मंच तथा अन्य किसान और मज़दूर संगठनों के नेता छात्र संगठनों ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए का. मुकेश मलौद को फौरन रिहा करने की मांग की है।

आप सरकार ने यह दमन ठीक उसी दिन किया, जिस दिन उसने पुरानी मनरेगा के तहत रोज़गार अधिकारों को समाप्त करने वाले नए 'जी राम जी' एक्ट को ख़ारिज करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। जेडपीएससी के अधिकांश सदस्य मनरेगा मज़दूर हैं। आप पार्टी की दोमुंही राजनीति पूरी तरह जनता के सामने बेनकाब हो गई है – 2014 में इसके विधायक हरपाल चीमा ने नजूल भूमि के लिए दलित आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन आज पंजाब सरकार के वित्त मंत्री के रुप में वही जेडपीएससी नेताओं पर दमन में हिस्सेदार हैं।

अनाजों से एथेनाल : भोजन कारपोरेट के हवाले; ग्रामीण जलवायु जहरीले प्रदूषण के हवाले

(पृष्ठ 2 का शेष)

बंद कर देना पड़ा।

वायु प्रदूषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, पर्यावरणीय लाभ पर झूठा विमर्श

एथेनॉल संयंत्रों से हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया जैसी दुर्गंधयुक्त और विषैली गैसें, साथ ही कणीय प्रदूषक निकलते हैं। ऐसे संयंत्रों के आसपास रहने वाले समुदायों में सांस की बीमारियां, त्वचा रोग, आंखों में जलन और लगातार सिरदर्द की शिकायतें होती हैं। प्रदूषित जल स्रोतों के कारण पेट और आंतों से जुड़ी बीमारियां बढ़ती हैं और ये सबसे अधिक महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सताती हैं।

रासायनिक निवेश आधारित गहन खेती, अत्यधिक जल–खपत, प्रसंस्करण और परिवहन सहित पूरी उत्पादन श्रृंखला में भारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति कथित पर्यावरणीय लाभों से कहीं अधिक हैं।

विस्थापन और सामुदायिक संसाधनों की हानि

एथेनॉल संयंत्रों के लिए बड़े भू–भाग की आवश्यकता होती है, जो अक्सर उपजाऊ कृषि भूमि से ली जाती है। इससे किसानों, खेत मजदूरों और भूमिहीन श्रमिकों का विस्थापन होता है। चरागाह, तालाब और गांव की साझा जमीन जैसे सामुदायिक संसाधनों पर अतिक्रमण तथा प्रदूषण होता है, जिससे पशुपालन, मत्स्य जीवन और सहायक आजीविकाएं नष्ट हो जाती हैं।

कॉरपोरेट का कब्जा

अनाज आधारित एथेनॉल नीति का मुख्य लाभ डिस्टिलरी मालिकों और ईंधन कंपनियों को मिलेगा। निर्णय प्रक्रिया भी अत्यधिक केंद्रीकृत है और स्थानीय समुदायों, पंचायतों और किसान संगठनों से परामर्श नहीं किया जाता। पर्यावरणीय स्वीकृतियों और प्रदूषण नियंत्रण मानकों का खुलकर अवहेलना की जाती है। कॉरपोरेट हित सार्वजनिक हितों पर हावी हैं।

निष्कर्ष

खाद्य अनाजों के किण्वन से एथेनॉल उत्पादन एक खतरनाक नीतिगत बदलाव है, जिसमें लोगों के भोजन की बजाय वाहनों के ईंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। यह कृषि संकट को गहराएगा, जल संकट को बढ़ाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा, नदियों व तालाबों में मत्स्यपालन को नष्ट करेगा और कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर कॉरपोरेट नियंत्रण को मजबूत करेगा। ऊर्जा या जलवायु संकट का समाधान करने के बजाय, अनाज आधारित एथेनॉल उत्पादन ग्रामीण भारत के लिए नई समस्याएं खड़ी करेगा।

यह पेट्रोल व डीजल में मिश्रण करने वाले उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के अलावा जिसमें स्वयं सड़क परिवहन व हाईवे मंत्री नितिन गडकरी का परिवार भी है, विदेशों से अनाज का आयात करने के दबाव में भी बढ़ाया जा रहा है।

IFTU की अखिल भारतीय जनरल काउंसिल द्वारा नए 4 लेबर कोड को रद्द कराने के लिए संघर्ष का आह्वान

इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (IFTU) की अखिल भारतीय जनरल काउंसिल की दो–दिवसीय बैठक 20–21 दिसंबर 2025 को कॉमरेड राज सिंह भवन (अमरापाली), NTPC कहलगांव में हुई। कॉमरेडों के रहने की व्यवस्था कॉमरेड रघुनंदन राय हॉल में थी। नेशनल कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र से IFTU के 90 प्रमुख कॉमरेडों ने जनरल काउंसिल में भाग लिया। यह जनरल काउंसिल केंद्र सरकार द्वारा 21 नवंबर को 29 श्रम कानूनों को खत्म करने और 4 नए श्रम कोड लागू करने की घोषणा के मद्देनजर विशेष महत्व रखती थी।

जनरल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता IFTU की राष्ट्रीय अध्यक्ष का. अपर्णा और 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का. वीके पटोले, का. पी. प्रसाद, का. एस.वी. राव व का. कुलविंदर सिंह के अध्यक्षमंडल ने की और इसका संचालन राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड टी. श्रीनिवास ने किया।

IFTU का झंडा अध्यक्ष का. अपर्णा ने फहराया और कॉमरेडों ने शहीदों और लाल झंडे के सम्मान में गीत गाए। फिर जनरल काउंसिल की शुरुआत भारत में मजदूर वर्ग आंदोलन के शहीदों, एक नए समाज के लिए लड़ते हुए जान देने वाले सभी लोगों और विशेष रूप से अमेरिकी साम्राज्यवाद समर्थित जायोनीवाद के खिलाफ अपने संघर्ष में फिलिस्तीन के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हुई।

जनरल काउंसिल का उद्घाटन जे. पी. विश्वविद्यालय भागलपुर के पूर्व उपकुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने किया। श्रमिकों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 'हायर एंड फायर' नीति लागू होने से श्रमिकों का उनके युवावस्था के 10 वर्षों में, 18 से 27 साल की उम्र तक, पूरी तरह से शोषण किया जाएगा, और फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और उनकी जगह नए श्रमिकों को काम पर रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह लोकतंत्र लोगों को भत्तों से 'खरीदने वाला' और लोगों से 'बहुत दूर' है।

अतिथि वक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा कि अब श्रमिकों के गुलाम मजदूर बनने की स्थिति में पहुंचने का गंभीर खतरा है। कई दशकों के संघर्षों और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के कारण मजदूरों को जो अधिकार मिले थे, खासकर नौकरी की सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन, ठेका मजदूरों के प्रति मुख्य मालिक की जिम्मेदारी, आदि, अब खत्म कर दिए जाएंगे। मजदूर वर्ग के लिए यह करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि यह हमला मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक है।

दो दिनों तक चली चर्चाओं में पिछले दो सालों में देश के मजदूरों के विभिन्न संघर्षों और उनमें IFTU की भूमिका की समीक्षा की गई। सरकार द्वारा 4 नए लेबर कोड को लागू करने पर विशेष चर्चा हुई। शुरू से ही IFTU ने इन लेबर कोडों को ऐसे कानूनों के रूप में पहचाना है जो कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों के अधिकारों पर हमला करते हैं। कई अन्य यूनियनों ने भी इनका विरोध किया है।

जनरल काउंसिल ने मजदूर वर्ग से संघर्ष करने का आह्वान किया। इसने PSUs, सरकारी और बड़े निजी संस्थानों में ठेका और आउटसोर्सिंग में संघर्ष विकसित करने का फैसला किया। इसने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें IFTU द्वारा हर जिले, गेट और यूनियन में हर हफ्ते, हफ्ते दर हफ्ते 4 कोड को रद्द करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया। इसने इन विरोध प्रदर्शनों को बड़े विरोध प्रदर्शनों में बदलने का आह्वान किया। इसने हर संयुक्त संगठन में और हर सेक्टर में इन चार लेबर कोड को रद्द करवाने के लिए एक व्यापक, एकजुट संघर्ष बनाने के लिए काम करने का आह्वान किया। इसने अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से भी एकजुट संघर्ष के लिए आगे आने की अपील की।

IFTU राष्ट्रीय समिति की ओर से, IFTU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनरल काउंसिल की बैठक के सफल आयोजन के लिए IFTU की बिहार राज्य कमेटी और NTPC कहलगांव की IFTU इकाइयों को बधाई दी। सभी प्रतिनिधियों को NTPC कहलगांव में काम करने वाली दो IFTU यूनियनों – NTPC कामगार संघ (स्थायी कर्मचारियों का) और NTPC ठेका मजदूर संघ द्वारा भागलपुरी शॉल भेंट किए गए।

जनरल काउंसिल ने केन्द्र सरकार द्वारा इंडिगो प्रबंधन के साथ मिलकर पायलटों के लिए तय काम के घंटों को छह महीने के लिए लागू न करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। उन सरकारों के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया जो प्राइवेट कंपनियों को इथेनॉल प्लांट लगाने की इजाजत दे रही हैं, जिससे जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, और इलें खिलाफ लोगों के संघर्षों का समर्थन किया। इसने राजस्थान के हनुमानगढ़ में ऐसे संघर्ष में गिरफ्तार किसानों को रिहा करने और ऐसे प्लांटों को बंद करने की मांग की। काउंसिल ने विशाखा स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ भी एक प्रस्ताव पास किया। इसने देश भर में चलाए जा रहे SIR के खिलाफ भी एक प्रस्ताव पास किया, जो असल में गरीब प्रवासी मजदूरों, खासकर महिलाओं से उनके वोट देने के लोकतांत्रिक अधिकार को छीन रहा है। दूसरे प्रवासी मजदूर कागज पूरे करने के लिए बार–बार शहर और गांव के बीच भाग–दौड़ करने में फंसे हुए हैं। महिलाओं से उनके मायके वालों की जानकारी साबित करने के लिए कहा जाता है जो काफी मुश्किल है।

इसके बाद, एक खुला समापन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें NTPC कहलगांव के बड़ी संख्या में नियमित और ठेका मजदूर शामिल हुए। IFTU राष्ट्रीय समिति के नेताओं ने इस सत्र को संबोधित करते हुए मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक, एकजुट संघर्ष का आह्वान किया।

कहलगांव भागलपुर बिहार में IFTU जनरल काउंसिल को बैठक। (बायें) जनरल काउंसिल बैठक (मध्य) अतिथि वक्ता सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस तथा (दायें) मंच पर उपस्थित अध्यक्षमंडल के सदस्य

उन्नाव बलात्कार के दोषी भाजपा नेता सेंगर की सजा निलंबित करने के उच्च न्यायालय द्वारा फैसले के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते महिला संगठन। इसमें प्रगतिशील महिला संगठन PMS दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से मुद्रित तथा प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार